संख्या 1996 / 66-2003

प्रेषक,

श्री बी०पी० मिश्र,
सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1— प्रमुख सचिव / सचिव,
लोक निर्माण, ऊर्जा, पंचायती राज, लघु सिंचाई, ग्राम्य विकास, विकलांग कल्याण, राजस्व, महिला कल्याण, समाज कल्याण, बेसिक शिक्षा, परिवार कल्याण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य,
उत्तर प्रदेश शासन।

2— समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग लखनऊ दिनांक 09 दिसम्बर,03

विषयः— प्रदेश में समग्र ग्राम्य विकास योजना लागू किया जाना।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के गाँवों का सर्वांगीण एवं बहुआयामी विकास सुनिश्चित करने हेतु महामहिम श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश तात्कालिक प्रभाव से समग्र ग्राम्य विकास योजना निम्न 16 सूत्रीय कार्यक्रमों से इस प्रयोजनार्थ चयनित गांवों को संतृप्त करने के लिए लागू करने के आदेश देते हैं:-

(1) स्वच्छ पेयजल।
(2) इन्दिरा आवास।
(3) स्वच्छ शौचालय निर्माण।
(4) सम्पर्क मार्ग निर्माण।
(5) ग्रामों का विद्युतीकरण।
(6) नाली / खडन्जे का निर्माण।
(7) प्राइमरी पाठशाला की स्थापना / भवन निर्माण।
(8) स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना।
(9) निःशुल्क बोरिंग।
(10) वृद्धावस्था पेंशन।
(11) विधवा पेंशन।
(12) उच्च प्राथमिक पाठशाला की स्थापना / भवन निर्माण
(13) कृषि भूमि, सीलिंग से सरप्लस भूमि आवास स्थल, मछली पालन स्थल तथा कुम्हारी कला हेतु स्थल

का आवंटन तथा पट्टे पर दी गयी भूमि के कब्जे का सत्यापन।

(14) विकलांग पेंशन तथा उपकरण सहायता योजना।

(15) परिवार कल्याण।

(16) टीकाकरण।

2. अग्रेतर यह भी आदेश दिए जाते हैं कि प्रत्येक माननीय सदस्य विधान सभा एवं माननीय सदस्य विधान परिषद की संस्तुति पर उनके निर्वाचन क्षेत्र में 10 ग्राम चयनित किये जायेंगे जिन्हें इन 16 कार्यक्रमों से संतृप्त किया जाएगा। जिस किसी गांव का कोई सैनिक सीमा पर शहीद होता है वह गांव समग्र ग्राम्य विकास योजना में स्वतः सम्मिलित हो जायेगा और गांव को 16 कार्यक्रम से संतृप्त किया जाएगा।

3. इस योजनान्तर्गत चयनित गांवों में सभी 16 कार्यक्रम संबंधित विभागों के विभागीय आय–व्ययक प्राविधान से सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सम्पादित किए जायेंगे।

4. इन कार्यक्रमों की पाक्षिक प्रगति आख्या शासन को क्रमशः प्रथम पक्ष की रिपोर्ट 23 वें दिवस तथा द्वितीय पक्ष की रिपोर्ट अगले मास के 8 वें दिवस तक जिलाधिकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे तथा इसके लिये मुख्य विकास अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,

(बी0पी0 मिश्र)
सचिव,

पृष्ठांकन संख्या 1996 (1/तद्दिनांकित।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
2– समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव/ विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शासन।
3– मुख्य स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4– स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
5– समस्त संयुक्त/ उप विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
6– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(दया शंकर)
विशेष सचिव,

पी०एस०यू०पी० ए०पी० 1 सा० अम्बेडकर ग्राम विकास 12-12-03 (1773) 1000 प्रतियां (आफसेट)।